13. तीन माह तक लगातार समय पर किराया जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त करते हुए प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी या शासकीय देयकों की वसूली आवंटी की सम्पत्ति से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
14. दुकानों से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद हरदोई में स्थित रहेगा तथा निविदा के मामले में उत्पन्न किसी विवाद पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
15. अपूर्ण निविदा/प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
16. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन, का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
17. निविदा से प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव की तीन गुना धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा स्वीकृत होने पर निगम कोष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा न किये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई टेण्डरमनी/टोकनमनी जब्त घोषित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय सर्वोच्च दर दाता के प्रस्ताव को क्रमवार पूर्व प्रस्ताव की टेण्डर मनी/टोकन मनी को जब्त करते हुए स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
18. यदि दुकान ठेकेदार अनुबन्ध के पश्चात दुकान संचालित रखने का इच्छुक न हो तो आवश्यक होगा कि वह तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर दुकान बन्द करें। यदि दुकान ठेकेदार द्वारा अचानक बिना कोई कारण बताये ही दुकान बन्द कर देता है तो प्रतिभूति के मद में निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि से कटौती करने अथवा दुकान का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई को होगा।

सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रस्ताव की कार्यवाही को बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व विधिमान्य होगा। इच्छुक निविदादाता बस स्टेशन लखीमपुर पर आवंटित किये जाने वाले स्थान व दुकान का भलीभाँति निरीक्षण अवश्य कर लें बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि में अवकाश की अवधि में यह कार्य अगले कार्य दिवस में सम्पन्न कराया जायगा।

(मोहन लाल)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

पत्रांकः— 645 उ0क्षे0/क्षे0प्र0/सामा0/ठेका-नीलामी/2019 दिनॉकः— 18/01/2020

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (वा0एवं वि0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा विज्ञप्ति को परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ की वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम हरदोई।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम। (ईमेल द्वारा)
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
7. एम0आई0एस0 सम्बद्ध क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0 परिवहन निगम हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त नीलामी विज्ञप्ति परिवहन निगम के मैसेज बोर्ड एवं ईमेल tender@upsrtc.com पर अपलोड करें।
8. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र को प्रचार–प्रसार हेतु तथा इस निर्देश से कि उक्त निविदा को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए चस्पानगी रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
9. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र हरदोई को इस आषय के साथ कि उक्त निविदा को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो कार्यालय हरदोई क्षेत्र।
11. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

Downloaded from www.upsrtc.com

Scanned by CamScanner